



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 4619 वर्ष 2026

मोहम्मद साजिद

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : बख्तेयर यूसुफ, उसामा कमर सिद्दीकी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति.जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 492/2025, भारतीय न्याय संहिता, की धारा 191(3), 190, 221, 223, 302, 109, 132, 352, 351(2), 351(3), थाना कोतवाली, जनपद बरेली में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का आपराधिक इतिहास, यदि कोई है, का स्पष्टीकरण आवेदन में किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में अंकित नहीं है। यह भी निवेदित किया गया कि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा किसी भी समय गिरफ्तारी की आशंका है, जबकि उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया गया।

5. सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य में प्रकाशित (2020) 5 एससीसी 1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर विधि को अंतिम रूप से यह प्रतिपादित करते हुए निर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत अनिवार्य रूप से सीमित अवधि के लिए ही नहीं दी जानी चाहिए। उपयुक्त प्रकरण में यह विचारण की समाप्ति तक भी जारी रह सकती है। यह भी प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदत्त होने के पश्चात, अभियुक्त के आचरण एवं व्यवहार के आधार पर, आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद भी विचारण तक जारी रह सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की संभावना, जिसमें साक्षियों को भयभीत करना भी सम्मिलित है, न्याय से पलायन की संभावना जैसे देश छोड़कर जाने की संभावना आदि पर विचार करना आवश्यक है। यह भी प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालयों को सामान्यतः अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक की आरोपित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों से निर्देशित होना चाहिए, जब यह निर्णय लेना हो कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए या अस्वीकार की जाए। अग्रिम जमानत प्रदान करना या न करना न्यायालय के विवेकाधिकार का विषय है।

6. अग्रिम जमानत से संबंधित विधि के स्थापित सिद्धांतों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के समस्त सहवर्ती तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरे विचार में यह प्रकरण आवेदक को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त है।

7. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदक- मोहम्मद साजिद को निर्देशित किया जाता है कि वह आज से 15 दिनों के भीतर संबंधित विवेचक/न्यायालय के समक्ष इस आदेश की प्रति सहित उपस्थित होकर संबंधित न्यायालय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के संतोष हेतु व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे, तथा उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते निम्न शर्तों का पालन किया जाए:-

(i) आवेदक स्वयं को विवेचक/संबंधित न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपलब्ध कराएगा तथा विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक किसी भी व्यक्ति, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो।

(iii) आवेदक बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत से बाहर नहीं जाएगा तथा यदि उसके पास पासपोर्ट है तो उसे संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के समक्ष जमा करेगा।

9. यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो वही आवेदक को प्रदान की गई संरक्षण निरस्त किए जाने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

2 जून, 2026

एस. के.